15.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप० गिरसायलान की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रा० पत्र पर वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें सायल वकील के निवेदन किया कि गिरसायलान को अग्रिम स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित अराजीमात स्व.नं. 1374 0.23 है., 1375 0.46 है., 1380 1.60 है., 1382 0.54 है., 1387 0.60 है., 1388 0.26 है., 1389 0.24 है., 1395 0.17 है., 1409 0.68 है., 1412 0.32 है., 1417 0.22 है., 1418 0.42 है., 142/1873 0.03 है., 1439 0.04 है., 1440 0.25 है., 1484 0.27 है., कुल किता - 16 कुल रकबा 6.38 है., भूमि स्थित ग्राम रामपुरा जिसमें सायलान का 1/4 हिस्सा एवं गिरसायलान

दिनांक	फर्द अहकाम	
	एवं वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 6 लगायत 16 का 3/4 हिस्सा दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड खातेदारो के मध्य जबतक विधिवत बटवारा नहि होजावे तब तक मौके की यथास्थिति कायम रखे। प्रा० पत्र पर गैरसायलान की ओर से जवाब पेश नहि करने के कारण जवाब बंद किया गया एवं वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व प्रा० पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः सुसंगत विधि को देखा जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तस्फिया दावा एवं रिकॉर्ड खातेदारो के मध्य विधिवत बटवारा होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मिसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहे। महेन्द्र सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नादौती।	